भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 248
21 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **तमिलनाडु में मूल्य समर्थन योजना**

248. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
डॉ. रानी श्रीकुमारः
श्री जी. सेल्वमः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने अधिसूचित कृषि वस्तुओं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तमिलनाडु में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में इस योजना के अंतर्गत शामिल वस्तुओं, खरीदी गई मात्रा और आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य में वस्तु-वार और वर्ष-वार लाभान्वित हुए किसानों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार को तमिलनाडु में खरीद में देरी, अपर्याप्त खरीद केंद्रों और किसानों को भुगतान में देरी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और
(ङ) मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में खरीद अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कवरेज का विस्तार करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ) : पीएम-आशा के तहत 'मूल्य समर्थन स्कीम' (पीएसएस) को राज्य सरकारों के अनुरोध पर निर्दिष्ट केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) पर निर्धारित 'उचित औसत गुणवत्ता' (एफएक्यू) वाली अधिसूचित दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, चना और मसूर), तिलहन (मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, रेपसीड/सरसों और कुसुम) और कोपरा (बॉल कोपरा और मिलिंग कोपरा) की खरीद के लिए कार्यान्वित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में पीएसएस के तहत मूंग, उड़द और कोपरा की खरीद की गई है। एमएसपी का भुगतान सीएनए द्वारा 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) सिस्टम के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है। स्कीम को कार्यान्वित करने में अगर कोई नुकसान होता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति स्कीम की गाइडलाइंस के अनुसार सीएनए को की जाती है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान तमिलनाडु में खरीदी गई वस्तु-वार मात्रा, किसानों को भुगतान किए गए एमएसपी मूल्य और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार, पीएसएस के तहत खरीद में देरी, खरीद केंद्रों की कमी या किसानों को भुगतान में देरी के बारे में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खरीद कार्यों में किसानों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए राज्य सरकारों, सीएनए और राज्य एजेंसियों द्वारा निर्धारित एफएक्यू विशिष्टताएँ, खरीद सारणी और खरीद केंद्रों के बारे में आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

अ.ता.प्र.सं.248

अनुबंध

तमिलनाडु में वर्ष 2023-24 से 2025-26 (09.07.2026 तक) तक पीएसएस के तहत एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद का विवरण

वर्ष/वस्तु	**खरीदी गई मात्रा (एमटी में)**	**एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में)**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
2023-24	**80,927.18**	**874.44**	**48,881**
कोपरा	79,003.03	857.97	47,025
मूंग	1,924.15	16.47	1,856
2024-25	**32,082.25**	**347.11**	**22,421**
कोपरा	28,189.65	314.60	19,509
मूंग	2,886.80	25.06	2,393
उड़द	1,005.80	7.44	519
2025-26	**939.70**	**8.24**	**1,082**
मूंग	939.70	8.24	1,082
वर्ष **2026** के दौरान**, 87,226** एमटी **(**मिलिंग **87,000** एमटी और बॉल **226** एमटी **)** कोपरा की मात्रा को मंज़ूरी दी गई है।			
